

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।**

अधिसूचना सं.- 05/विविध-14-44/2014 :-

राँची, दिनांक -

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (i) में वर्णित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची (मुख्यालय) के कृत्यों से संबंधित सूचना आवेदनों/ अपीलों के संदर्भ में सम्यक कार्रवाई हेतु श्री हेमन्त कुमार भक्त, उप सचिव (प्रबन्धन), जल संसाधन विभाग, राँची को एतद् द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अभिहीत किया जाता है।

2. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
3. उक्त पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख- 1, एवं 2 जल संसाधन विभाग, राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ संयुक्त सचिव, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अपर निदेशक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर, जमशेदपुर/ उप समाहर्ता, राजस्व प्रमण्डल, राँची/ उप सचिव (प्र.)/ उप सचिव, (अभि.) सभी अवर सचिव/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ सभी विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी/ सभी पुनर्वास पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी सहायक, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि- श्री हेमन्त कुमार भक्त, उप सचिव (प्रबन्धन), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

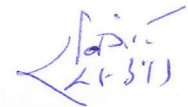
947

राँची, दिनांक -

21-03-12

सूचनार्थ।

प्रतिलिपि- वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु



(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

21-3-17